दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
/22	पत्रावली आज पेश हुई। दोनों पक्षों के वकील उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 15/07/22 को पेश हो (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी	
15/7/22	पत्रावली आज पेश हुई। दोनों पक्षों के वकील उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। आदेश अलग से लिखा जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली नियम अनुसार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2022.09.19 [illegible]:08:48 IST
Date: 2024.11.03 [illegible]04:25 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 144/2020

प्रार्थी

1. सुरेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश
   जाति माहेश्वरी निवासी बेरीगांव तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. मांगा पुत्र रावता
2. मफा पुत्र रावता
3. सांवला पुत्र रावता
4. पूरों पत्नी रावता
5. प्रतापा पुत्र अचला फौत के कायम मुकामः–
   5/1 भीमाराम पुत्र प्रतापा
   5/2 मलाराम पुत्र प्रतापा
   5/3 रूखमोदेवी पत्नी प्रतापा
   जाति प्रजापत (कुंभार) निवासी बेरीगांव तहसील गुड़ामालानी
6. दिनेश राठी पुत्र देवीलाल राठी
   जाति माहेश्वरी निवासी डाबली हाल निवासी सुभाष चौक रातानाडा जोधपुर
7. तहसीलदार गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 15/7/22

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् तरमीम दुरस्ती का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की पैतृक खातेदारी भूमि तहसील गुड़ामालानी पटवार मण्डल बेरीगांव के राजस्व ग्राम बेरीगांव के खेत खसरा नम्बर 147/3 रकबा 2–00 बीघा किस्म बारानी सोयम की आई हुई है, प्रार्थी ने ग्राम बेरीगांव के खसरा नम्बर 147 रकबा 47–12 बीघा भूमि में से 2–00 बीघा दिनांक 30.06.1994 को दस्तावेज संख्या 348/1994 के जरिये विप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पिता [illegible] रावत व विप्रार्थी संख्या 5 से कय की थी, वक्त रजिस्ट्री [illegible] रकबा 2–00 बीघा पर बेचानकर्ताओंने प्रार्थी को कब्जा [illegible] था तभी से प्रार्थी काबिज होकर कय सुदा भूमि का उपयोग व उपभोग निर्बाध रूप से करता आ रहा है। इस कय सुदा भूमि का राजस्व रेकर्ड में तो 2–00 बीघा का ही अमलदरामद किया गया परन्तु नक्शा ट्रेस में भूलवंश 2–00 के स्थान पर 1–00 बीघा की

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2022.09.19 [illegible] 08:48 IST
Reason: SelfAttested
Date: 2024.11.03 22:04:25 IST
Reason: SelfAttested